

प्रेस विज्ञापिथाना-निजामाबाद10 लीटर कच्ची शराब नाजायज के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध व कच्ची शराब की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री धनंजय प्रसाद शुक्ल मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कोडर पुलिया वहद ग्राम कोडर पर एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये जा रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ०नि० मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुंच कर चेकिंग किया जा रहा था कि कोडर के तरफ से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोककर कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम इमत्याज कुरैशी पुत्र स्व मुस्लिम कुरैशी सा 0 तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब बरामद किया गया। जिसको समय करीब 20.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब होने के सम्बन्ध में अपना जुर्म कबूल कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु०अ०सं०- 173/20 धारा 60Ex Act थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

इमत्याज कुरैशी पुत्र स्वद मुस्लिम कुरैशी सा० तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ०नि० श्री धनंजय प्रसाद शुक्ला मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आमजगढ़

थाना- जीयनपुरलूट की योजना बनाते दो बदमाश गिरफ्तार, चोरी की दो बकरी व दो अदद चाकू बरामद

आज दिनांक 27.9.20 को SI राजकुमार तिवारी मय हमराह के थाने से रवाना होकर विनावर रात्रि गश्त तलाश वांछित अभियुक्त संदिग्ध अपराधों में कस्बा अजमतगढ़ में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि लक्ष्मी कूप तिराहे के पास कुछ बदमाश इकट्ठा होकर लूट पाट करने की योजना बना रहे हैं यदि शिघ्रता की जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराही मय मुखबिर अजमतगढ़ से तुरन्त रवाना होकर लक्ष्मी कूप तिराहे से लगभग 200 मी० पूर्व मोटर सायकिल खड़ी कर मुखबिर के निर्देशानुसार लुक छिप कर लक्ष्मी कूप तिराहे पर आये कि मुखबीर ने इशारे से बताया कि लक्ष्मी कूप भवन के पीछे बदमाश छिपे हैं और मुखबिर चला गया कि पुलिस टीम छिपकर आहट लेने लगी कि तभी एक ने कहा कि चलो समय अधिक हो गया है रोड़ से आने वाले किसी व्यक्ति से लूट पाट किया जाय और उठ कर खड़े हो गये। इस पर पूर्व यकिन हुआ कि यह लूटेरो का गिरोह है जो लूट पाट करने जा रहा है कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर ही दो बदमाशों को पकड़ लिया गया तथा दो बदमाश अंधेरे व खेतों का लाभ लेते हुए भागने में सफल रहे। पकड़े गये बदमाशों का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम सुफियान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्रा० चुनुगपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष बताया तलाशी से एक अदद चाकू लोहे का बरामद हुआ तथा दुसरे पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम आजाद पुत्र जब्बार पता उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष बताया जिसके जामा तलाशी से उसके पहने हुये जिंस के पैण्ट से एक अदद चाकू लोहे का नाजायज मिला। भागे हुये हुये बदमाशों का नाम पता पूछा गया तो एक का नाम विशाल पुत्र राम अवध नि० सुखपुर व दुसरे का नाम राम सिंगार चौहान S/0 रामकरन चौहान नि० उमरी महावतगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ बताया। पकड़े गये बदमाशों से चाकू रखने के सम्बन्ध में लाईसेंस तलब करने पर नहीं दिखा सके। अभियुक्तगणों का यह कार्य अन्तर्गत धारा 398/401 IPC व 4/25 A Act का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर वाजाफता बकायदा समय 00.30 बजे रात्रि हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु०अ०सं०- 298/2020 धारा 398/401 IPC 2. मु०अ०सं०- 299/2020 धारा 4/25 A Act 3. मु०अ०सं०- 300/2020 धारा 4/25 A Act पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणों ने पूछने पर अपनी गलती का माफी माँगते हुये बताया कि साहब हम लोग लूटपाट करने की नियत से यहां पर छिपे थे कि आप लोगो ने हम लोगो को गिरफ्तार कर लिया। हम दोनो लोगो ने ही दिनांक 25.09.2020 को ग्राम पूनापार बड़गांव के नहर के पास से फूलबदन राजभर ग्राम पूनापार बड़ागांव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की दो राशि बकरी चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुफियान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम चुनुगपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
2. आजाद पुत्र जब्बार निवासी ग्राम चुनुगपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

1. दो अदद चाकू नाजायज
2. दो राशि बकरी

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 298/2020 धारा 398/401 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 299/2020 धारा 4/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 300/2020 धारा 4/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 296/2020 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अभिषेक कुमार यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 चित्रसेन सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना तहबरपुर

01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 24/9/2020 को श्री रविन्द्र यादव पुत्र जियालाल यादव ग्राम- सुदनीपुर थाना- तहबरपुर आजमगढ़ तहरीर दाखिल किये कि मेरे गांव के सुरेन्द्र यादव पुत्र धरमू यादव अपने घर से दूर बने खंडहर नुमा मकान को देखने के लिए गये हुए थे। खंडहर मकान में किसी ने लैट्रिन कर दिया था। इसकी शिकायत बगल में स्थित मेरे चचेरे भाई अभिमन्यु के घर जाकर करने लगे। अभिमन्यु ने कहा की मेरे घर से खंडहर की तरफ कोई नहीं गया था। इतने में ही सुरेन्द्र काफी उत्तेजित हो गये तथा गाली देने लगे। कुछ देर बाद सुरेन्द्र के परिवार से धरमू s/o सुवेदार, विवेक s/o सुरेन्द्र, रीता w/o सुरेन्द्र मौके पर आ गये। सभी लोग एक राय होकर गाली गुप्ता देने लगे। जब गाली देने का अभिमन्यु द्वारा विरोध किया गया तो सभी लोग मिलकर अभिमन्यु को लठी डंडा तथा लात घूसा तथा फावड़े से मारने लगे। बीच बचाव हेतु अभिमन्यु की पत्नी सुमित्रा, तथा सरिता पत्नी मनोज पहुँची तो उनको भी बुरी तरह से मारे पीटे है। जान बचाकर घर के अंदर भागे तो सभी मुल्जिमान घर के अंदर भी घुस कर बुरी तरह से मारे पीटे है। मारपीट से अभिमन्यु के सिर में आई – चोटो से अभिमन्यु मौके पर वेहोश हो गये है। शोरगुल सुनकर मैं तथा गाँव के बहुत से लोग मौके पर पहुँचे। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। उक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2020 धारा 323/504/506/452/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 27 .9.20 को व0उ0नि0 बसन्त लाल मय हमराही कर्मचारीगण मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता रीता यादव पत्नी सुरेन्द्र यादव ग्राम सुदनीपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को सुदनीपुर मोड पर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 64/2020 धारा 323/504/506/452/308 भादविथाना तहबरपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

- 1.रीता यादव पत्नी सुरेन्द्र यादव ग्राम सुदनीपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.व0उ0नि0 बसन्त लाल
- 2.का0 सुनील गुप्ता
- 3.म0का0 अभिलाषा द्विवेदी